प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस.)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
प्र0इ0रि0सं0 270 /2025 दिनांक 15/10/2025
(I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम..धाराऐं..............................
(IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 550 समय 2:30 pm
(ब) अपराध घटने का दिन......................दिनांक......................समय......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..............................समय......
3. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता — ....
....बीट संख्या..............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो........
पुलिस थाना..जिला..................................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :—गोपनीय शिकायत
(अ) नाम —
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता..
(य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय...
(ल) पता —
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :—
1.श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री सुगनलाल मीणा निवासी 5 / एच / 173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग हाल एसोसियट प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर
2. श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा पत्नी श्री रामावतार मीणा निवासी 5 / एच / 173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर।
3. श्री तुषार जगरवाड पुत्र श्री रामावतार मीणा निवासी 5 / एच / 173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर।
4.अन्य
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :— कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं)

महोदय,

गोपनीय शिकायत संख्या बीएन/एसीबी/191/2025 विरूद्ध श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री सुगनलाल मीणा अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, हाल एसोसियट प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर की ब्यूरो में प्राप्त होने पर निर्देशानुसार सत्यापन किया गया। गोपनीय रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं सूत्र मामूर किये गये। गोपनीय सत्यापन एवं सूत्रों से संदिग्ध अधिकारी के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री सुगनलाल मीणा की जन्मतिथि 10.12.1971 है। संदिग्ध अधिकारी के पिता का नाम श्री सुगनलाल मीणा है। संदिग्ध अधिकारी की शादी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा जो गृहणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी का पता मकान न. 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के **मोबाईल नं0** [redacted] **PAN NUMBER –** [redacted] **AADHAR NUMBER –** [redacted] है।

संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना एवं कई परिसम्पतियां होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी पंचायती राज विभाग राजस्थान में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर भर्ती होने के पश्चात विकास अधिकारी के पद पर नादोती, सपोटरा, गंगापुरसिटी में पदस्थापित रहा तथा जिला परिषद करौली व सवाईमाधोपुर में सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदस्थापित रहा है।

संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा जो गृहणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। जिसकी जन्मतिथि 02.01.1978 है एवं **मोबाईल नं0** [redacted] **PAN NUMBER –** [redacted] होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के एक पुत्र व एक पुत्री जिनका नाम तुषार जगरवाड (जन्मतिथि 12.06.2003 है एवं **मोबाईल नं0** [redacted] **PAN NUMBER –** [redacted]) एवं कृतिका (जन्मतिथि 24.12.2000 है एवं **मोबाईल नं0** [redacted] **PAN NUMBER –** [redacted]) होना सूत्रो से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने दोनो बच्चों की शिक्षा पर काफी व्यय कर उनको मेडिकल की कोंचिग एवं एमबीबीएस करवाया जाना गोपनीय सूत्रो से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा के नाम से जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली के रिहायशी क्षेत्रों में अनेको प्लॉट,फार्म हाउंस खरीदना एवं आलिशान मकान निर्माण करना सूत्रों ने बताया है। संदिग्घ अधिकारी द्वारा अपनी पत्नि के नाम से जिला करौली में माईनिंग लीज, क्रेसर, में पार्टनरशीप दर्शा कर एवं पत्नी के नाम छद्‌म फर्म बनाकर रिश्वत से अर्जित अवैध आय को वैध करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996-97 से अब तक स्वयं, पत्नी व पुत्र के नाम से जयपुर शहर में इन्दिरा गांधी नगर में प्राईम लोकेशन पर 06 बडे प्लाट होना प्रकट हुआ है उक्त में से एक प्लाट पर तीन मंजिला आलीशान मकान के निर्माण का कार्य चल रहा है, तथा अन्य प्लाटों पर भी मकान एवं चार दिवारी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है जिनका विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा गंगापुर सिटी में कर्मचारी कॉलोनी में बडा दो मंजिला आलीशान मकान अर्जित करना प्रकट हुआ जिसका उल्लेख प्रपत्र "ब" मे दर्शाया गया है,

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर जिला करौली में खिरखिड़ा गॉव में करीब 5 बीघा कृषि भूमि खरीद कर उसमें आलीशान फार्म हाउस एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है जिसका विवरण प्रपत्र " ब " में दर्शाया गया है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर गॉव अचलपुरा कोटखावदा तहसील चाकसू में एक अन्य महिला श्रीमती सोनिया देवी के साथ 50–50 प्रतिशत की पार्टनरशीप में करीब 25 बीघा कृषि भूमि खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है जिसका विस्तृत विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम गॉव टोकसी गंगापुर सिटी में व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुख्य मार्ग पर करीब 1.5 बीघा कृषि भूमि खरीद करना सूत्रों से से ज्ञात हुआ है जिसका विस्तृत विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है। उक्त भूमि पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर रिसोर्ट बनाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। जिसके संबंध में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित होगा।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र के नाम से इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर में एक प्लाट क्रय किया जाना ज्ञात हुआ है जिसका विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है। पुत्र की आईटीआर में अन्य स्त्रोतो से आय दर्शायी गई है जिसका विवरण प्रपत्र स में दर्शाया गया है। यह उल्लेखनिय है कि संदिग्ध अधिकारी का पुत्र अध्ययरत होकर एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त कर रहा है एमबीबीएस का अध्ययन फुल टाईम तथा पूर्ण सर्मपण के साथ किया जाने वाला अध्ययन है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कोई अन्य व्यवसाय कर आय अर्जित करना सम्भव नहीं है। अतः संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा प्रदर्शित आय के मार्फत संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अवैध तरीके सें अर्जित आय को वैध आय में परिवर्तित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रदर्शित आय के संबंध में अनुसंधान के दौरान विस्तृत तथ्य संकलित कर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं एवं पुत्र के नाम एक लग्जरी चौपहिया वाहन "जीप कम्पनी का मॉडल न्यू कम्पास" एवं एक दुपहिया वाहन खरीद करना ज्ञात हुआ जिसका विस्तृत विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अन्य ओर भी वाहन क्रय किया जाकर उपयोग में लिया जाना सूत्रों ने बताया है। इस संबंध में अनुसंधान के दौरान विस्तृत तथ्य संकलित कर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी, पत्नी, एवं पुत्र के नाम आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई में लाखों रूपयों का लेनदेन होना एवं लाखों रूपयों का बैंक बैलेस होना ज्ञात हुआ है जिसका विस्तृत विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा एक बेनामी सम्पति एक स्टुडेन्ट श्री रामकेश मीणा के नाम से ग्राम टीलावाला, जगतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खसरा नम्बर 553/1 रकबा 0.25 हैक्टर दिनांक 6.03.2012 को 50,60,000/रूपये में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ, उक्त भूमि के संदर्भ में गोपनीय सत्यापन किया गया तो वर्तमान में उक्त भूमि रोहिणी नगर जगतपुरा में स्थित होकर उसपर छोटे–छोटे टिनशेड के कमरे बने हुये है। संदिग्ध अधिकारी की उक्त बैनामी सम्पति के संबंध में स्थिति अनुसांधान के दौरान स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी का गॉव धंधावली पोस्ट सोमला, सुरोठ के पास, तहसील हिण्डौन सिटी में एक मकान होना ज्ञात हुआ है। जिसके अर्जित करने में किये गये व्यय का विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से गॉव मनोहरपुरा तह० जिला करौली में पार्टनरशीप में माईनिंग लीज एवं क्रेशर "जय माता दी स्टोन क्रेशर" संचालित

करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। जिसके संबंध में माईनिंग कार्य, क्रेशर संचालन मशीनरी व ट्रांसपोर्ट वाहनों में व्यय का विवरण प्रपत्र "ब" में तथा आय का विवरण प्रपत्र "स" में दर्शाया गया है। उक्त माईनिंग लिज एवं क्रेशर के मार्फत संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अवैध तरीके से अर्जित आय को वैध आय में परिवर्तित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त फर्म के संबंध में अनुसंधान के दौरान उधोग विभाग, माईनिंग विभाग,जीएसटी विभाग, प्रदुषण नियत्रंण विभाग वगैरह विभागों से विस्तृत तथ्य संकलित कर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से एक फर्म "एस0के0टी0आर0 कन्शट्रक्सन कम्पनी, कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी वाले मकान में संचालित करना प्रकट हुआ है। उक्त कन्शट्रक्सन कम्पनी से संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी की आय दर्शायी है जिसका विवरण प्रपत्र "स" में अंकित है। उक्त कन्शट्रक्सन कम्पनी संदिग्ध होकर छद्म फर्म प्रतीत होती है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त छद्म फर्म के मार्फत अपनी अवैध तरीके से अर्जित आय को वैध आय में परिवर्तित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त फर्म के संबंध में अनुसंधान के दौरान उधोग विभाग, जीएसटी विभाग, पंचायती राज विभाग, पीडब्ल्यूडी वगैरह विभागों से विस्तृत तथ्य संकलित कर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी की आय एसकेटीआर फर्म, माईनिंग लिज, क्रेशर, होबी क्लास एवं अन्य स्त्रोतों से दर्शायी है जिसका विवरण प्रपत्र "स" में अंकित है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त प्रदर्शित आय के मार्फत अपनी अवैध तरीके से अर्जित आय को वैध आय में परिवर्तित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त प्रदर्शित आय के संबंध में अनुसंधान के दौरान विस्तृत तथ्य संकलित कर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा बेनामी सम्पति गणेश नगर आगरा रोड जयपुर में अर्जित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है जिसके संबंध में अनुसंधान के दौरान विस्तृत तथ्य संकलित कर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा बेनामी सम्पति गंगापुर सिटी में डिवाईन पब्लिक स्कूल के मालिक के साथ पार्टनरशीप में खरीदना सूत्रों से ज्ञात हुआ है जिसके संबंध में अनुसंधान के दौरान विस्तृत तथ्य संकलित कर स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

संदिग्ध अधिकारी ने अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की कोचिंग व एमबीबीएस की पढाई में लाखों रूपयें व्यय होने का अनुमान है जिसका विवरण प्रपत्र "द" में दर्शाया गया है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा किये गये अन्य व्यय का विवरण प्रपत्र "द" में दर्शाया गया है।

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996–97 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख प्रपत्र "अ" मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

प्रपत्र "अ"

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996–97 से अब तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख प्रपत्र "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिवारजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्त्यिों का कुल मुल्य 4,22,17,172/रूपये अनुमानित है।

प्रपत्र "ब"

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम गॉव टोकसी गंगापुर सिटी में व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुख्य मार्ग पर करीब 1.5 बीघा कृषि भूमि खरीद करना सूत्रों से से ज्ञात हुआ है उक्त भूमि पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर रिसोर्ट बनाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। जिसके संबंध में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित होगा। उक्त भूमि खसरा नम्बर 178 गांव टोकसी, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर को दिनांक 07.07.2006 को रूपये करीब 1,50,000 में कय करने का अनुमान है।उक्त भूमि पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 11,250 रूपये खर्च करने का अनुमान है। अत उक्त भूमि पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 1,61,250 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,61,250/–
2	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर गॉव अचलपुरा कोटखावदा तहसील चाकसू में एक अन्य महिला श्रीमती सोनिया देवी के साथ 50–50 प्रतिशत की पार्टनरशीप में करीब 25 बीघा कृषि भूमि खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, उक्त भूमि नया खसरा नम्बर 13, 35, 41, 42, 45, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 93, 99 गांव अचलपुरा, कोटखावदा, जिला जयपुर को जरिये तीन इकरारनामे दिनांक 07.11.2012 को करीब 21,00,000 रूपये अग्रिम भुगतान के रूप में व्यय करना ज्ञात हुआ है। अतः संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के हिस्से में 1/2 के हिसाब से 10,50,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है तथा वर्तमान में कोर्ट में स्टे होना ज्ञात हुआ है।	10,50,000/–
3	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के नाम से एक भूखण्ड संख्या 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 285 वर्गगज हो दो तरफ बाउण्ड्री बनी हो दिनांक 31.05.2012 का 8,38,163 रूपये में कय करने का अनुमान है। उक्त भूखण्ड पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 15,300 रूपये खर्च करने का अनुमान है। उक्त तीन मंजिले मकान का कार्य निर्माणाधीन है जिस पर कुल क्षेत्रफल 2565 वर्गफीट क्षेत्रफल में तीन मंजील के निर्माण का कुल निर्माणाधीन क्षेत्रफल करीब 7695 वर्गफीट होकर निर्माण दर 1100 वर्गफीट प्रति दर के हिसाब से अनुमानित कुल 84,64,500 रूपये निर्माण में व्यय करने का अनुमान है इस प्रकार सम्पूर्ण व्यय कुल 93,17,963 रूपये व्यय करने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर 38,00,000 लाख रूपये का लोन एलआईसी हाउसिंग फाईनेन्स से लेना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त भूखण्ड एवं मकान निर्माण में कुल व्यय 55,17,963 रूपये करने का अनुमान है।	55,17,963/
4	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के नाम एक आवासीय प्लाट करीब 400 वर्गगज कर्मचारी कॉलोनी, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में स्थित है, उक्त प्लाट वर्ष 2004 में करीब 500,000 रूपये में कय करने का अनुमान है। उक्त प्लॉट पर दो मंजिला आलीशान मकान बना हुआ है जो वर्ष 2012 में निर्माण करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट करीब 400 वर्गगज का होकर उक्त प्लाट पर दोनों मंजिलों पर लगभग 5500 वर्गफुट निर्माण होने का अनुमान है जिस पर निर्माण लागत लगभग 55,00,000 रूपये खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट व मकान निर्माण पर 60,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	60,00,000/–
5	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर जिला करौली में	55,50,100/–

	खिरखिडा गॉव में करीब 5 बीघा कृषि भूमि खरीद कर उसमें आलीशान फार्म हाउस का निर्माण किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त फार्म हाउस में स्थित खसरा नम्बर 35, 36 क्षेत्रफल 0.7081 हैक्टेयर गांव खिरकड़ा काशीपुरा, महोली, करौली को दिनांक 15.07.2016 को 1,00,000 रूपये में क्रय करने का अनुमान है एवं स्टाम्प के रूप में 11,100 रूपये खर्च करने का अनुमान है। उक्त फार्म हाउस में ही स्थित अन्य भूमि खसरा नम्बर 34, 37 क्षेत्रफल 0.6196 हैक्टेयर गांव खिरकड़ा काशीपुरा, महोली, करौली को दिनांक 15.07.2016 को 1,00,000 रूपये में क्रय करने का अनुमान है एवं उक्त भूमि पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 9,000 रूपये खर्च करने का अनुमान है। उपरोक्त समस्त भूमि पर एक दो मंजिला आलीशान फार्म हाउस बना हुआ है तथा उक्त कृषि भूमि के चारो तरफ लगभग 7 फीट ऊंची चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है व ट्यूबवैल पानी की टंकी का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार फार्म हाउस की भूमि को क्रय करने व आलीशान फार्म हाऊस व चार दीवारी के निर्माण में सम्पूर्ण खर्च के रूप में 55,50,100/ रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
6	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या 5/एच/167 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में स्थित है जो दिनांक 27.11.2020 को 32,50,000 रूपये में क्रय करने का अनुमान है। उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री, स्टाम्प डयुटी, पट्टे एंवं आवासीय स्थानान्तरण के रूप 4,36,332 रूपये में व्यय करने का अनुमान है। सम्पूर्ण खर्च 36,86,332 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	36,86,332/–
7	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या 5/एच/169 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में स्थित है जो दिनांक 04.01.2021 को 23,72,415 रूपये में क्रय करने का अनुमान है उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री एव स्टाम्प डयुटी व पटटे के रूप में 1,07,585 रूपये खर्च करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 24,80,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	24,80,000/–
8	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या 5/एच/168 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में स्थित है जो दिनांक 04.01.2021 को 23,00,000 रूपये में क्रय करने का अनुमान है उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री एव स्टाम्प डयुटी व पटटे के रूप में 25,215 रूपये खर्च करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 23,25,215 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	23,25,215/–
9	प्लॉट संख्या 5/एच–167, 5/एच–168 एवं 5/एच–169 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर में स्थित संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम के प्लॉटो में चारदीवारी एवं मकान निर्माण पर 20,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	20,00,000
10	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या 8/एच/179 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में स्थित है जो वर्ष 2025 में क्रय करने का अनुमान है उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री एव स्टाम्प डयुटी व पटटे के रूप में सम्पूर्ण खर्च 32,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	32,00,000/–
11	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री तुषार जगरवाड के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या 8/एच/180 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में स्थित है जो वर्ष 2025 में क्रय करने का अनुमान है उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री एव स्टाम्प डयुटी व पटटे के रूप में सम्पूर्ण खर्च 32,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	32,00,000/–
12	संदिग्ध अधिकारी का गॉव धंधावली पोस्ट सोमला, सुरोठ के पास, तहसील हिण्डौन सिटी में एक मकान होना ज्ञात हुआ है। जिसके निर्माण पर लगभग 15,00,000 व्यय होने का अनुमान है।	15,00,000
13	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से गॉव मनोहरपुरा तह० जिला करौली में पार्टनरशीप में माईनिंग लीज एवं क्रेशर "जय माता दी स्टोन	25,00,000

	क्रेशर" संचालित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने लगभग 25,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
14	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के नाम से एक चौपहया वाहन नम्बर 24 बीएच 5741 बी जीप कम्पास मॉडल जीप न्यू कम्पास मॉडल्स 02 एटी करीब 27,00,000 लाख रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है। जिस पर केनरा बैंक लोन खाता सख्यां 331160 से दिनांक 9.02.2024 को 15,40,000 रूपये का वाहन लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार उक्त वाहन पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा लोन राशि घटाकर 11,60,000 रूपये व्यय अनुमान है।	11,60,000/-
15	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री तुषार के नाम से एक दुपहिया वाहन नम्बर आर जे 27 ए.पी. 3371 रॉयल इनफील्ड हुन्टर 350 वर्ष 2023 में खरीदना ज्ञात हुआ है जिसकी अनुमानित कीमत 1,80,000 हजार रूपये है।	1,80,000/-
16	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के आईसीआईसीआई बैंक बचत सैलरी खाता संख्या [redacted] में बैलेन्स 63,925 रूपये	63,925/-
17	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के केनरा बैंक खाता संख्या [redacted] में बैलेन्स 10,74,403 रूपये	10,74,403/-
18	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के एसकेटीआर कन्सट्रक्शन कम्पनी के केनरा बैंक खाता संख्या [redacted] में बैलेन्स 51,387 रूपये	51,387/-
19	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा की जय माता दी स्टोन क्रेशर के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या [redacted] में बैलेन्स 2,05,533 रूपये	2,05,533/-
20	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या [redacted] में बैलेन्स 223 रूपये	223/-
21	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के पुत्र तुषार के पंजाब नेशनल बैंक में खाता संख्या [redacted] में बैलेन्स 841 रूपये	841/-
22	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के पुत्र तुषार के पंजाब नेशनल बैंक में पीपीएफ खाता संख्या [redacted] में बैलेन्स 3,10,000 रूपये	3,10,000/-
	कुल	**4,22,17,172**

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996–97 से अब तक अर्जित आय व परिजनों की आय का उल्लेख प्रपत्र "स" मे दर्शाया गया है। प्रपत्र "स" के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय लगभग 2,40,43,954/रूपये का अनुमान है।

प्रपत्र "स"

क्र.सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा की वर्ष 1996–97 से वर्ष 2025–26 तक आयकर विवरणिका के अनुसार कुल कुल शुद्व आय 1,31,18,250	1,31,18,250
2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा की वर्ष 2010–11 से वर्ष 2025–26 तक आयकर विवरणिका के अनुसार एसकेटीआर फर्म, माईनिंग लिज, क्रेशर, होबी क्लास एवं अन्य स्त्रोंतो से कुल शुद्व आय 95,50,057	95,50,057
3	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री तुषार जगरवाड की वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक आयकर विवरणिका के अनुसार अन्य स्त्रोंतों से कुल शुद्व आय 13,75,647	13,75,647
	कुल योग	2,40,43,954

संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1996–97 से अब तक किये गये व्यय तथा परिजनों द्वारा किये गये व्यय का उल्लेख प्रपत्र "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 94,80,525/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

प्रपत्र "द"

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अवधि 1996–97 से वर्ष 2025–26 तक सकल आय 1,66,48,655/ रूपये का अनुमान में से रसोई एवं असत्यापनिक पर नियमानुसार कुल 55,49,551/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	55,49,551/
2	संदिग्ध अधिकारी के एक पुत्र तुषार जगरवाड एवं एक पुत्री कृतिका जगरवाड की स्कूली शिक्षा, मेडिकल प्रवेश नीट की कोचिंग एवं एमबीबीएस की शिक्षा,हॉस्टल आदि में संदिग्ध अधिकारी द्वारा लगभग 30,00,000/ रूपये व्यय होने का अनुमान है।	30,00,000/–
3	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा एवं परिवाजनों द्वारा 01 दुपहिया एवं 01 चौपहया वाहन निजी कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है जिस पर इन्शोरेन्स; ईंधन एव रखरखाव पर लगभग 5,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,00,000/–
4	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा के नाम से एक कार लोन केनरा बैंक खाता सख्यां 331160 होना ज्ञात हुआ है जिस पर दिनांक 9.02.2024 से 09.09.2025 तक किस्तों के रूप में 4,78,960 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	4,78,960/–
5	संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा द्वारा एक एलआईसी हाउसिंग फाईनेन्स से लोन लेना ज्ञात हुआ है जिस पर किश्तों के रूप में 2,52,014/रूपये व्यय करना ज्ञात हुआ है।	2,52,014/–
	कुल योग	94,80,525

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड वर्ष 1996–97 से खाना तलाशी दिनांक तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 2,40,43,954/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 4,22,17,172/रूपये एवं व्यय राशि 94,80,525/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि के जोड **5,16,97,697**/रूपये में से उपरोक्त आय 2,40,43,954/रूपये को घटाने पर 2,76,53,743/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 115.01 प्रतिशत अधिक है। अतः संदिग्ध अधिकारी श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री सुगनलाल मीणा निवासी मकान नं 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग हाल एसोसियट प्रोफेसर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर, संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा पत्नि श्री रामावतार मीणा मकान नं 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा,जयपुर, एवं संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री तुषार जगरवाड पुत्र श्री रामावतार मीणा व अन्य के विरूद्व वैध आय से ज्ञात स्त्रोतो से अधिक परिसम्पतियां अर्जित करने एवं अर्जित करने मे सहयोग करने में तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

संदिग्ध अधिकारी से संबन्धित निम्न ठिकानों (1) संदिग्ध अधिकारी का मकान नम्बर 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर (2) संदिग्ध अधिकारी का संयुक्त परिसर मकान/प्लाट नम्बर 5/एच/167,168,169 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर (3) संदिग्ध अधिकारी का मकान कर्मचारी कालोनी, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर (4) संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी मीणा पत्नी श्री रामवतार मीणा का ग्राम खिरखिड़ा तह0 व जिला करौली में स्थित फार्म हाउस (5) संदिग्ध अधिकारी का मकान गॉव धंधावली पोस्ट सोमला सुरोठ के पास, तह0 हिण्डौन (6) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय कक्ष इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर व अन्य की तलाशी लेना आवश्यक है। तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः अभियुक्तगण 1. श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री सुगनलाल मीणा निवासी कर्मचारी कॉलोनी, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर निवासी 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, हाल एसोसियट प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर 2. श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा पत्नी श्री रामावतार मीणा निवासी 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर 3. श्री तुषार जगरवाड पुत्र श्री रामावतार मीणा निवासी 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर व अन्य के विरूद्ध वैद्य आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत **धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), व 61(2) बीएनएस 2023** के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(रीना मिस्त्री)
पुलिस निरीक्षक
भ्रनिब्यूरो,इन्टें,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रीना मिस्त्री, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री सुगनलाल मीणा निवासी कर्मचारी कॉलोनी, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर निवासी 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, हाल एसोसियट प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर 2. श्रीमती शकुन्तला देवी मीणा पत्नी श्री रामावतार मीणा निवासी 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर 3. श्री तुषार जगरवाड पुत्र श्री रामावतार मीणा निवासी 5/एच/173 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 270/2025 दिनांक 14.10.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई. आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

(पुष्पेन्द्र सिंह)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांकः– 1530-1535 दिनांक :– 14/10/25

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, कम संख्या–1 जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
4. श्रीमान महानिदेशक इन्दिरा गांधी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर।
5. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयुपर।

(पुष्पेन्द्र सिंह)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर